

(141)  
विग 05303/2018/रसि/कृशा

न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, मण्डल.

राज 0 निगरानी क्र 0/

/018



विलोपित विलोपित

गोविन्द प्रसाद तनयशंभू प्रसाद निवासी ग्राम बरहटा पो 0 आ 0 बरहटा,  
थाना व तह 0 मऊगंज, जिला रीवा, मण्डल.

----- आवेदक

बनाम

- 01- पुष्पेन्द्र कुमार तनय जगदीश प्रसाद ब्रा 0 उम्र-31 वर्ष पेशा-खेती  
निवासी ग्राम बरहटा थाना व तह 0 मऊगंज, जिला रीवा, मण्डल.
- 02- सुरेन्द्र कुमार तनय जगदीश प्रसाद ब्रा 0 उम्र-26 वर्ष पेशा-खेती, निवासी  
ग्राम बरहटा, थाना व तह 0 मऊगंज, जिला रीवा, मण्डल.
- 03- जगदीशप्रसाद तनय शंभू प्रसाद ब्रा 0 निवासी ग्राम बरहटा, थाना व  
तह 0 मऊगंज, जिला रीवा, मण्डल.
- 04- श्रीमती सुशीला देवी पुत्री शंभू प्रसाद निवासी ग्राम पतेरी थाना व  
तह 0 मऊगंज, जिला रीवा, मण्डल.
- 05- श्रीमती मालती देवी पुत्री शंभू प्रसाद पति जगदीशप्रसाद ब्रा 0 निवासी  
ग्राम मटरी : भठवा : तह 0 सिरमौर जिला रीवा, मण्डल.
- 06- श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री शंभू प्रसाद ब्रा 0 निवासी ग्राम बगहिया तह 0  
सिरमौर जिला रीवा, मण्डल.
- 07- श्रीमती विमला देवी पुत्री शंभू प्रसाद ब्रा 0 निवासी ग्राम मनिक्वार,  
तह 0 रायपुर कर्ण 0 जिला रीवा, मण्डल.

----- अनावेदकगण.


निगरानी विरुद्ध आदेश अमर आयुक्त महोदय  
रीवा संभागीय जो राज 0 मण्डल 474/निग./  
2006-07 मे दिनांक 07.06.018 को आदेश

2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 5303-रीवा/118 जिला-रीवा

गोविंद प्रताप विरुद्ध पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा व अन्य

(1)	(2)	(3)
18.12.18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>मनोज तिवारी</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिश्नर/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक <u>474/जिला/2006-07</u> में पारित आदेश दिनांक <u>7.6.18</u> के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक <u>31.8.18</u> प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।</p> <p>3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात् प्रकरण दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	